

न्यायालय:-न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला (म0प्र0)
(पीठासीन अधिकारी-धन कुमार कुडोपा)

दांडिक0प्र0क0-679 / 14
संस्था0दि0 29 / 09 / 14
फाईलनं. 23350400882014

मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र,
 थाना आमला, जिला बैतूल (म0प्र0)

-----**अभियोजन**

:- विरुद्ध :-

1. प्रभु पिता झब्बू मेहरा, उम्र 40 वर्ष,
2. गणेश पिता झब्बू मेहरा, उम्र 21 वर्ष,
 दोनों-जाति मेहरा, पेशा-खेती, नि0ग्राम रानीडोंगरी,
 थाना आमला, जिला बैतूल (म0प्र0)

-----**अभियुक्तगण**

:- निर्णय :-

(आज दिनांक 22 / 02 / 2017 को घोषित)

1- अभियुक्तगण के विरुद्ध भा0दं0वि0 की धारा 452 के तहत अभियोग है कि दिनांक 14 / 09 / 14 समय 07:00 बजे शाम या उसके लगभग प्रार्थिया का घर ग्राम रानी डोंगरी, थाना आमला, जिला बैतूल म0प्र0 के अंतर्गत फरियादी पुष्पा बरदाहे के आधिपत्य के मकान में जो मानव निवास के रूप में उपयोग में आता है, में उपहति कारित करने की या उस पर हमला करने की या उसे सदोष अवरोध करने की या उसे उपहति या हमला या सदोष अवरोध के भय में डालने की तैयारी करके प्रवेश कर गृह अतिचार किया।

2- दिनांक 13 / 02 / 17 को आहत रामपत ने तथा दिनांक 22 / 02 / 17 को फरियादी पुष्पा बरदाहे ने अभियुक्तगण से राजीनामा करने से अभियुक्तगण को धारा 294, 323 / 34 (दो बार), 325 / 34 एवं 506 भाग-2 के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है।

3- अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 14 / 09 / 14 के शाम 7 बजे करीब की बात है। वह उसके घर में मक्के के बड़े बना रही थी कि उतने में उसके घर के सामने वाले प्रभु एवं गणेश उसके घर के सामने आये और मक्का के बुट्टे कहां से लाये और माँ बहन की गंदी-गंदी गालियाँ देने लगे, उतने में

प्रभु और गणेश उसके घर के अंदर आये और भुट्टे उनके खेत से लाये कहकर हाथ थप्पड़ से मारपीट करने लगे, वह चिल्लाई तो उसके पिता रामपत दौड़कर आये बीच बचाव करने लगे, तो उनको भी हाथ थप्पड़ से मारपीट करने लगे उतने में गणेश ने डंडा से उसके पिता रामपत को मारपीट किया जिससे उसे पीठ में अंदरूनी चोट आई है एवं उसके पिताजी को दाहिने हाथ कन्धे भुजा पर चोट आई है। उक्त दोनों लोग बोल रहे थे कि इनको जान से खत्म करने की धमकी दे रहे थे। उतने में आवाज सुनकर मुकेश, सुन्दर सहदेव ने देखा सुना बीच बचाव किया है।

4— प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0 1 है। जिसके आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 739/14 भा.द.सं धारा-294,323,452, 506,34 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। दिनांक 15/09/14 को नक्शा मौका प्र0पी0 2 तैयार किया गया। दिनांक 16/09/14 को सम्पत्ति जप्ती पत्रक अनुसार सम्पत्ति जप्त कर सम्पत्ति जप्ती पत्रक तैयार किया गया। फरियादी व आहत का मेडिकल मुलाहिजा तैयार किया गया। साक्षियों के कथन उनके बताये अनुसार लेख किया, अभियुक्तगण को गिरफ्तार गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया।

5— अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्तगण का अभियुक्त परीक्षण किया गया। अभियुक्तगण ने अपने अभियुक्त परीक्षण में कहा कि वह निर्दोष है उन्हें झूठा फंसाया गया है। बचाव पक्ष ने बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

6— : न्यायालय के समक्ष यह विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

“क्या दिनांक 14/09/14 समय 07:00 बजे शाम या उसके लगभग प्रार्थिया का घर ग्राम रानी डोंगरी, थाना आमला, जिला बैतूल म0प्र0 के अंतर्गत फरियादी पुष्पा बरदाहे के आधिपत्य के मकान में जो मानव निवास के रूप में उपयोग में आता है, में उपहति कारित करने की या उस पर हमला करने की या उसे सदोष अवरुध करने की या उसे उपहति या हमला या सदोष अवरुध के भय में डालने की तैयारी करके प्रवेश कर गृह अतिचार किया?”

—: निष्कर्ष एवं उसके आधार :-
विचारणीय प्रश्न क0 1 का निराकरण

7— अभियोजन साक्षी पुष्पा (अ.सा.3) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि वह उसके घर में मक्के के बड़े बना रही थी कि उतने में उसके घर के सामने वाले प्रभु एवं गणेश उसके घर के सामने आए और मक्का के भुट्टे कहां से लाए है और माँ बहन की गंदी-गंदी गालियाँ देने लगे, तो उतने में प्रभु और गणेश जब वह घर के बाहर आई तो दोनों ने उसे पकड़कर हाथ थप्पड़ से मारपीट करने लगे वह चिल्लाई तो उसके पिताजी आए वे बीच बचाव किया, तो उन्हें हाथ थप्पड़ से मारपीट करने लगे।

गणेश ने उसको डंडा से मारपीट किया जिससे उसे पीठ में उंगली में चोट आई उसके पिता को भुजा में चोट आई थी। वे बोल रहे थे कि इनके जान से खतम करने की धमकी दे रहे थे। आगे इस गवाह ने अपनी प्रतिपरीक्षा की कंडिका 2 में यह स्वीकार किया है कि घटना घर के सामने की है। आगे इस गवाह ने स्वीकार किया है कि आरोपीगण से उसका राजीनामा हो गया है। यह गवाह स्वयं फरियादी है और उक्त गवाह ने अपनी मुख्य परीक्षा सूचक प्रश्न एवं प्रतिपरीक्षा में आई साक्ष्य से फरियादी पुष्पा बरदाहे के आधिपत्य के मकान में जो मानव निवास के रूप में उपयोग में आता है, में उपहति कारित करने की या उस पर हमला करने की या उसे सदोष अवरुद्ध करने की या उसे उपहति करने की या सदोष अवरोध के भय में डालने की तैयारी करके प्रवेश कर गृह अतिचार किया, यह स्पष्ट नहीं होता है। इस प्रकार इस गवाह की साक्ष्य से मुख्य परीक्षा, सूचक प्रश्न एवं प्रतिपरीक्षा से भा0दं0वि0 की धारा 452 के तथ्यों का समर्थन नहीं किया है।

8— अभियोजन साक्षी रामपत (अ0सा02) ने अपनी मुख्य परीक्षा, सूचक प्रश्न एवं प्रतिपरीक्षा में घटना घटित होने के तथ्यों का समर्थन नहीं किया है।

9— अभियोजन साक्षी बिसनसिंह (अ0सा01) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि दिनांक 14/09/14 को प्रार्थीया पुष्पा थाना में उपस्थित होकर आरोपी प्रभु एवं गणेश के विरुद्ध यह रिपोर्ट लिखाई थी कि उसके द्वारा घर में घुसकर गाली गलोच एवं हाथ थप्पड एवं गणेश द्वारा डंडे से मारपीट करने बाबत रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। जो प्र0पी0 1 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। इस गवाह के द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0 1 लिखी गई है। फरियादी ने अपनी साक्ष्य में अभियुक्तगण के द्वारा घर में घुसकर मारपीट करने से इंकार किया है। ऐसी स्थिति में इस गवाह के द्वारा फरियादी के बताये अनुसार दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट संदेहास्पद होकर महत्वहीन हो जाती है।

10— उर्पयुक्त किए गए साक्ष्य एवं विश्लेषण से यह स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्तगण ने फरियादी पुष्पा के आधिपत्य के मकान में जो मानव निवास के रूप में उपयोग में आता है, में उपहति कारित करने की या उस पर हमला करने की या उसे सदोष अवरुद्ध करने की या उसे उपहति करने की या सदोष अवरोध के भय में डालने की तैयारी करके प्रवेश कर गृह अतिचार किया। इस प्रकार विचारणीय प्रश्न कं. 1 का निराकरण "अप्रमाणित" रूप से किया जाता है।

11— उर्पयुक्त अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति-युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्त ने फरियादी पुष्पा के आधिपत्य के मकान में जो मानव निवास के रूप में उपयोग में आता है, में उपहति कारित करने की या उस पर हमला करने की या उसे सदोष अवरुद्ध करने की या उसे उपहति करने की या सदोष अवरोध के भय में डालने की तैयारी करके प्रवेश कर गृह अतिचार किया। इस प्रकार अभियुक्तगण प्रभु तथा गणेश को भा0दं0वि0 की धारा-452 के अपराध के आरोप से

दोषमुक्त किया जाता है।

12— अभियुक्तगण के धारा-313 द०प्र०स० के पूर्व प्रस्तुत जमानत मुचलका भारमुक्त किया जावे। अभियुक्तगण का धारा 428 द०प्र०सं० का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।

13— प्रकरण में जप्त सम्पत्ति एक बांस का डंडा मूल्यहीन होने से नष्ट किया जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय का आदेश मान्य किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित।

(धनकुमार कुड़ोपा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, जिला बैतूल म०प्र०

(धनकुमार कुड़ोपा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, जिला बैतूल म०प्र०